न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर

राजस्व वाद 36 / 2022(2022 / 133)

1 बच्चन पुत्र रामदेव जाति गुर्जर।
2 शिवराज पुत्र रामदेव जाति गुर्जर।
3 सुरेश पुत्र रामदेव जाति गुर्जर।
4 सोहनी पत्नी रामदेव जाति गुर्जर।
5 तुलसी पुत्री रामदेव जाति गुर्जर।
6. सीता पुत्री रामदेव जाति गुर्जर।
समस्त निवासीगण जसवन्तपुरा तहसील सावर जिला अजमेर।

---प्रार्थी

♠ बनाम ♠

1. रामकरण पुत्र भूरा जाति खाती।
2. महावीर पुत्र बरदा जाति गुर्जर।
3. पप्पू पुत्र उगमा जाति गुर्जर।
4. गोपाल पुत्र रामा जाति बैरवा।
5. छोटू पुत्र भागूता जाति बैरवा।
समस्त निवासीगण जसवन्तपुरा तहसील सावर जिला अजमेर।
6. सोराम पुत्र धुला जाति मीणा।
7. बबूलाल पुत्र मोहन जाति मीणा।
निवासीगण बाढ का झौंपडा तहसील सावर जिला अजमेर।
8. माधू पुत्र हीरा जाति मीणा।
9. लीलाराम पुत्र रामेश्वर जाति मीणा।
निवासीगण रायनगर तहसील सावर जिला अजमेर।
10. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार साहब तहसील सावर जिला अजमेर।

--- अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थितः–
प्रार्थी वकील :– श्री मगन लाल लोधा
पेराकार सरकार :– जरिये तहसीलदार सावर

आदेश

दिनांक 14.5.2022

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत मे पेश हुई। प्रार्थी द्वारा प्रकरण संक्षेप में राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात वाके **ग्राम घटियाली तहसील सावर जिला अजमेर में स्थित है। आराजी** की जमाबन्दी संवत **2073–76** में दर्ज अंकन निम्नानुसार दर्ज रिकॉर्ड है:–

खाता संख्या (नया–पुराना)	खसरा नम्बर	रकबा (हे.)	किस्म
988–1311	3931	5.86	बारानी उत्तम
	3932	0.14	बारानी उत्तम
	3944	1.87	बारानी उत्तम
	3945	0.54	बारानी उत्तम

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.06.21 11:48:49 IST
Reason: SelfAttested

सदस्य
उपखण्ड अधिकारी
लोक अदालत
(तालुका विधिक सेवा समिति)
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

	कुल किता 4	रकबा 8.41हैक्टर	

उक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण के कब्जे स्वामित्व आधिपत्य व खातेदारी की आराजीयात है जो प्रार्थीगण के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग मे चली आ रही है। उक्त वर्णित आराजीयात वर्तमान में भी भौतिक रूप से प्रार्थीगण के कब्जे काश्त स्वामित्व आधिपत्य एवं उपयोग उपभोग मे चली आ रही है व प्रार्थीगण ही उक्त आराजी मे काश्त कर फसल प्राप्त करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण की उक्त आराजीयात के अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 9 प्रार्थीगण की आराजीयात के पड़ौसी है । प्रार्थीगण की उक्त वर्णित आराजीयात व अप्रार्थीगण की आराजीयात के मध्य स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने से प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य आराजीयात को काश्त करने को लेकर आये दिन लड़ाई झगड़ा होता रहता है । इसलिए प्रार्थीगण अपनी उक्त आराजीयात का नाप चोप करवा कर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित करवाना चाहते है जिससे भविष्य मे प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य आराजीयात की सीमा को लेकर कोई विवाद नहीं हो सके । प्रार्थीगण ने दिनांक 05.04 2021 को अप्रार्थी नं0 10 को अपनी आराजीयात का सीमाज्ञान कराने हेतु प्रार्थना पत्र दिया परन्तु कोई सुनवाई नही हुई अतः यह प्रार्थना पत्र वास्ते स्थाई सीमा चिन्ह (पत्थरगढी) स्थापित करने हेतु पेश करना आवश्यक हुआ । करीब 6 माह पहले प्रार्थीगण अपनी उक्त आराजीयात को की काश्त करने गये तो प्रार्थीगणव अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 9 आराजीयात के मध्य स्थायी सीमा चिन्ह न होने से अप्रार्थीगण ने काश्त करने मे बाधा पहुंचाई तथा मना करने पर लडाई झगडा करने पर उतारू हो गये इसलिए प्रार्थीगण की उक्त आराजीयात का नाप चोप कर स्थायी सीमाचिन्ह (पत्थरगढी) स्थापित किया जाना न्यायोचित है प्रार्थीगण की उक्त आराजीयात व अप्रार्थीगण की आराजीयात के मध्य स्थाई सीमा चिन्ह न होने से प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य आराजीयात की सीमा को लेकर आये दिन लडाई झगडा होता रहता है इसलिए प्रार्थीगण की उक्त आराजीयात का नाप चोप कर स्थाई सीमा चिन्ह (पत्थरगढी) किया जाना न्यायोचित है जिससे भविष्य में कोई लडाई झगडा नहीं हो। अप्रार्थी नं0 10 लेण्ड होल्डर होने से व राजस्व रेकार्ड का संधारण करते है इसलिए फरीक मुकदमा बनाया गया है। प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र पेश करने का मूल कारण दिनांक 15.9.2021 को प्रथम बार उत्पन्न हुआ जब अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण को काश्त करने मे बाधा पहुंचाई व अब दिन प्रति दिन उत्पन्न हो रहा है। विवादग्रस्त आराजीयात ग्राम घटियाली तहसील सावर जिला अजमेर मे स्थित है जो न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है प्रार्थी द्वारा उपरोक्त वर्णित आराजीयात पर पत्थरगढी कराने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया।

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण को बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने पर उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल लाई जाकर जवाब बंद किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा जवाब में राजहित प्रभावित नही होना बताया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रार्थी प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी का खातेदार काश्तकार है। खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है।खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 भू.रा.अधि. के तहत स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सावर वाके ग्राम घटियाली तहसील सावर की जमाबन्दी संवत 2073–76 के खाता संख्या नया पुराना 988–1311 के कुल किता 4, कुल रकबा 8.41हैक्टर की पत्थरगढी प्रार्थी द्वारा नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने पर कार्मिकों की टीम गठित करके की जावें। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

आदेश राष्ट्रीय लोक अदालत मे सरे इजलास सुनाया गया।

सदस्य
उपखण्ड अधि[illegible]
लोक अदालत
(तालुका विधिक सेवा [illegible]ति)
केकड़ी (अजमेर)

न्यायिक अधिकारी
लोक अदालत बैंच
तालुका विधिक सेवा समिति
केकड़ी जिला–अजमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.06.21 11:48:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner